



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 31, 2018 (PAUSA 10, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

संख्या 103/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, "धारा 9 की उप-धारा (1)" शब्द, अंक, चिह्न और कोष्ठक के पश्चात्, "और धारा 15 की उप धारा (5)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची I- 2.5% में,-

(i) क्रम संख्या 23, 24 तथा उनके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 123 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"123क	2515 11 00	मार्बल और ट्रावरटाईन, क्रूड या रफली ट्रिम्ड";
-------	------------	---

(iii) क्रम संख्या 198क को क्रम संख्या 198कक के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित की गई क्रम संख्या 198कक से पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"198क	4501	प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया";
-------	------	--

(iv) क्रम संख्या 224 में, खाना (2) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"63 [6305 32 00, 6309 से भिन्न]";

- (v) क्रम संख्या 225 में, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो";

- (vi) क्रम संख्या 225क और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"225क	6602 00 00	वाकिंग स्टीक्स, जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
225ख	6815	पलाई ऐश की ईंटें या पलाई ऐश एग्रीगेट जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक पलाई ऐश हो; पलाई ऐश ब्लॉक्स";

- (vii) क्रम संख्या 234 में, खाना (3) की प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-

"**व्याख्या:** यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल का किसी प्रदायकर्ता के द्वारा प्रदाय किया जाता है और इसके साथ ही अन्य माल और सेवाओं का भी प्रदाय होता है तथा उनमें से एक, जिस पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए मालों के प्रदाय का मूल्य ऐसे सभी प्रदायों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। प्रभारित सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कराधेय सेवा के मूल्य के रूप में माना जाएगा।";

- (viii) क्रम संख्या 243क को क्रम संख्या 243ख के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्या 243ख से पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"243क	8714 20	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कैरेज के भाग और सहायक उपकरण ";
-------	---------	---

(ग) अनुसूची II- 6% में,-

- (i) क्रम संख्या 101 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"101क	4502 00 00	प्राकृतिक कार्क, डिबैकड या रफली स्क्वयार्ड या आयाताकार में (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्ट्रीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लैक्स भी आते हैं)
101ख	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग	4504	पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगे हो या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएं";

- (ii) क्रम संख्या 102,126 तथा उनके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 171क को क्रम संख्या 171कक के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्या 171कक से पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"171क	63053200	फ्लैक्सिबल इंटरमिडियट बल्क कंटेनर";
-------	----------	-------------------------------------

- (iv) क्रम संख्या 173 में, खाना (3) में प्रविष्टि में, "टहलने की छडियां, आसन छडियां," शब्दों और चिह्नों का लोप किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 177 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) अनुसूची III - 9% में,-

- (i) क्रम संख्या 121क को क्रम संख्या 121ख के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित की गई क्रम संख्या 121ख से पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"121क	4012	रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रैड और रबर के टायर फ्लैप्स, ";
-------	------	---

- (ii) क्रम संख्या 142, 143, 144 तथा उनके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 369क में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“ट्रॉसमिशन शाफ्टस (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रैंक शाफ्टस भी शामिल हैं) और क्रैंक्स; बियरिंग हाउसिंगस और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियरिंग, बॉल या रोलर स्क्रूय; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; पलाईव्हील्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली ब्लॉक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंटस भी आते हैं);

- (iv) क्रम संख्या 376कक और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“376ककक	8507	लीथियम-आयन एकमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैंक भी शामिल हैं”,
---------	------	---

- (v) क्रम संख्या 383 में, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि में, “टेलीविजन कैमरे” शब्दों के पश्चात्, “,डिजीटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर”, चिह्न और शब्द रखे जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 383ग में, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि में, “68सेंटीमीटर” अंक और शब्द के स्थान पर, “32इंच” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 384 में, खाना (3) की प्रविष्टि में “20इंच” अंक और शब्द के स्थान पर, “32 इंच” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 440क को क्रम संख्या 440ख के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित की गई क्रम संख्या 440ख से पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“440क	9504	वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएँ, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, बिलियर्ड्स, कैसिनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिंग एलेय उपकरण भी आते हैं, [प्लेयिंग कार्ड्स, गंजिफा कार्ड्स, चैस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 90 के अन्य बोर्ड गेम्स जैसे कि लूडो इत्यादि से भिन्न],”
-------	------	--

(ड) अनुसूची IV – 14% में,—

- (i) क्रम संख्या 47 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 135 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 139 में, खाना (3) में प्रविष्टि में, “लीथियम ऑयन बैट्री से भिन्न”, शब्दों के पश्चात् “और अन्य लीथियम-ऑयन इक्यूमूलेटर जिसमें लीथियम-ऑयन पावर बैंक भी आते हैं” शब्द रखे जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 151 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 154 में, खाना (3) की प्रविष्टि में, “20 इंच” अंक और शब्द और “68 सेंटीमीटर” अंक और शब्दों के स्थान पर, “32 इंच” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 174 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्न लिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“174	8714	शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरण”;
------	------	--

- (vii) क्रम संख्या 215 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st December, 2018

No. 103/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(A) in the opening paragraph, after the words, brackets and figures “sub-section (1) of section 9”, the words, brackets and figures “and sub-section (5) of section 15”, shall be inserted;

(B) in Schedule I-2.5%,

- (i) serial numbers 23,24 and the entries there against, shall be omitted;
- (ii) after serial number 123 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries there against shall be inserted, namely: -

“123A	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed”;
-------	------------	---

- (iii) serial number 198A shall be re-numbered as serial number 198AA, and before serial number 198AA as so re-numbered, the following serial number and entries there against shall be inserted, namely:

“198A	4501	Natural Cork, raw or simply prepared”;
-------	------	--

- (iv) in serial number 224, for the existing entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:-

“63 [other than 6305 32 00, 6309]” ;

- (v) in serial number 225, for the existing entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-

“Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair”

- (vi) for serial number 225A and the entries thereagainst, the following serial numbers and the entries thereagainst shall be substituted, namely: -

“225A	6602 00 00	Walking-Sticks including seat sticks
225B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks”;

- (vii) in serial number 234, in the entry in column (3), the following *Explanation* shall be inserted in the end, namely,

“Explanation: If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at serial number 38 of the Table mentioned in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated 30th June, 2017, the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent of the gross consideration charged for all such supplies. The remaining thirty per cent of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service”;

- (viii) serial number 243A shall be re-numbered as serial number 243B, and before serial number 243B as so re-numbered, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:

“243A	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons”;
-------	---------	--

(C) in Schedule II - 6%,

- (i) after serial number 101 and the entries thereagainst, the following serial numbers and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“101A	4502 00 00	Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
101B	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
101C	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork”;

- (ii) serial numbers 102,126 and the entries thereagainst, shall be omitted;
 (iii) serial number 171A shall be re-numbered as serial number 171AA, and before serial number 171AA as so re-numbered, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“171A	63053200	Flexible intermediate bulk containers”;
-------	----------	---

- (iv) in serial number 173, in the entry in column (3), the words and commas “walking-sticks, seat-sticks,” shall be omitted;
 (v) serial number 177 and the entries thereagainst, shall be omitted;

(D) in Schedule III - 9%,

- (i) serial number 121A shall be re-numbered as serial number 121B, and before serial number 121B as so re-numbered, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“121A	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber”;
-------	------	--

- (ii) serial numbers 142, 143, 144 and the entries there against, shall be omitted;
 (iii) in serial number 369A, for the existing entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-
 “Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)”;
 (iv) after serial number 376AA and the entries thereagainst, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“376AAA	8507	Lithium-ion accumulators (other than battery) including lithium-ion power bank”;
---------	------	--

- (v) in serial number 383, in the entry in column (3), after the words “television cameras”, the comma and words “,digital cameras and video camera recorders”, shall be inserted;
 (vi) in serial number 383C, in the entry in column (3), for the figure and word“68 cm”, the figure and word “32 inches” shall be substituted;
 (vii) in serial number 384, in the entry in column (3), for the figure and word“20 inches”, the figure and word“32 inches” shall be substituted;
 (viii) serial number 440A shall be re-numbered as serial number 440B, and before serial number 440B as so re-numbered, the following serial number and entries there against shall be inserted, namely:

“440A	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo etc.]”;
-------	------	--

(E) in Schedule IV - 14%,

- (i) serial number 47 and the entries thereagainst, shall be omitted;
- (ii) serial number 135 and the entries thereagainst, shall be omitted;
- (iii) in serial number 139, in the entry in column (3), after the words “other than Lithium-ion battery”, the words “and other lithium ion accumulators including lithium ion power banks” shall be added;
- (iv) serial number 151 and the entries thereagainst, shall be omitted;
- (v) in serial number 154, in the entry in column (3), for the figure and word “20 inches” and the figure and word “68 cm”, both, the figure and word “32 inches” shall be respectively substituted;
- (vi) for serial number 174 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be substituted, namely: -

“174	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711”;
------	------	---

- (vii) serial number 215 and the entries thereagainst, shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.